POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 15.05.2025

1. थाना साइबर क्राइम नोएडा द्वारा वादी को डिजिटल अरेस्ट कर 2,39,16,700 रुपए की धोखाधड़ी/ठगी करने वाले गैंग के 02 साइबर अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **15/05/2025** को **थाना साइबर क्राइम नोएडा** द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये वादी को डिजिटल अरेस्ट कर 2,39,16,700 रुपए की धोखाधड़ी/ठगी करने वाले 02 अभियुक्त मुकेश सक्सेना व अनीस अहमद को जनपद मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से **गिरफ्तार** किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- वादी ने दिनांक 18/03/2025 को लिखित तहरीर देकर मु0अ0सं0-0019/2025 धारा 308(2), 319(2), 318(4) बी0 एन0 एस0 व 66 डी आई.टी.एक्ट का अभियोग थाना साइबर क्राइम नोएडा पर पंजीकृत कराया गया, जिसमें साइबर अपराधी द्वारा वादी को डिजिटल अरेस्ट कर पुलिस का अधिकारी बनकर मानव तस्करी करने के नाम पर डराकर केस होने का भय दिखाकर 2,39,16,700 रुपए की धोखाधड़ी की गयी। विवेचना मे त्वरित कार्यवाही करते हुए धोखाधड़ी मे लिप्त संदिग्ध बैंक खातो को तत्काल फ्रीज़ कराया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

1. मुकेश सक्सेना पुत्र शिवराज सक्सेना श्री कृष्णा कालोनी चंद्रनगर थाना सिविल लाइन जनपद मुरादाबाद उम्र 50 वर्ष।
2. अनीस अहमद पुत्र नशीर अहमद निवासी धीमरी रोड करुला थाना कटघर जनपद मुरादाबाद उम्र 39 वर्ष

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्त मुकेश सक्सेना ने पूछताछ मे बताया गया कि वह जनपद मुरादाबाद मे ACCOUNTS का कार्य करता हैं, आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण उसका संपर्क अनीस अहमद से हुआ जो कि CURRENT BANK ACCOUNT उपलब्ध करवाकर उसे कमीशन के रुप मे आगे अन्य अभियुक्तों को उपलब्ध कराते है, इसी क्रम मे अभियुक्तगणो द्वारा मुकेश सक्सेना के साथ मिलकर एक राय होकर योजनाबद्ध तरीके के अभियुक्त मुकेश के खाते मे 18 लाख रुपये वादी के धोखाधड़ी पूर्वक ले लिया गया जिसको अभियुक्तों द्वारा आपस मे वितरित कर लिया गया, अन्य अभियुक्तों की गिरफ़्तारी के सतत प्रयास किये जा रहे हैं।

नोट- मुकदमा उपरोक्त मे वादी के साथ हुई धोखाधड़ी की 6,72,237 रुपये फ्रीज़ कराए जा चुके है, रिफन्ड की कार्यवाही प्रचलित है।

धोखाधड़ी मे अभियुक्त अनीस अहमद के बैंक खाते से संबंधित 12 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का होना पाया गया हैं, जिसके अंतर्गत NCRP PORTAL पर चेक करने पर कुल 15 शिकायते (दिल्ली - 01, झारखंड- 01, महारास्ट्र, पंजाब- 01, झारखंड- 01,राजस्थान- 02, तमिलनाडु- 06, तेलंगाना- 03) दर्ज पाई गई है, जिसके संबंध मे आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

धोखाधड़ी मे अभियुक्त मुकेश सक्सेना के बैंक खाते से संबंधित 2 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का होना पाया गया हैं, जिसके अंतर्गत NCRP PORTAL पर चेक करने पर कुल 18 शिकायते (दिल्ली - 01, , महारास्ट्र - 04, राजस्थान- 02, तमिलनाडु- 02, तेलंगाना- 01, आंध्र प्रदेश- 01, कर्नाटक- 02, उत्तर प्रदेश -03, वेस्ट बंगाल- 03) दर्ज पाई गई है, जिसके संबंध मे आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट :- साइबर जागरूकता सुझाव बिन्दु–

1- किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा वाट्सअप कॉल और video call द्वारा पुलिस की वर्दी पहन कर किये जा रहे कॉल पर यकीन करने से पूर्व उक्त मो0न0 और बताये गये नाम व पद को GOOGLE SEARCH के द्वारा अथवा सम्बन्धित विभाग की वेवसाइट पर उपलब्ध अधिकारियों का और उनकी तैनाती स्थल की जाँच पडताल के बाद ही बतायी जा रही किसी बात का यकीन करें।

2- किये गये What’s app call और video call के विषय में एक बार कोई जानकारी साझा करने से पूर्व उक्त मो0न0 के विषय में निकटवर्ती Cyber cell आथवा सम्बंधित विभाग जैसे नार्कोटिक्स, फेडेक्त कोरियर, CBI आदि विभिन्न संस्थानो के हेल्प डेस्क से भी जॉच पडताल करें।

3- अगर आपके द्वारा कोई भी पार्सल नही भेजा गया है अथवा पार्सल में यदि बताया जा रहा है कि एक पार्सल मिला है जिसमें आपका आधार कार्ड या मो0न0 मिला है उक्त कॉल पर यकीन ना करें वह साइबर क्रिमिनल का कॉल हो सकता है। अगर किसी विधिक कानूनी कार्यवाही की धमकी दी जा रही हो तो घबराये नही तत्काल इस बात की सूचना सम्बन्धित / निकटवर्ती थाने में अवश्य दें।

4- अगर आपके आधार की आई0डी0 /आपके नाम से कोई बैंक खाता खोले जाने की बात कही जा रही हो तो उसे तत्काल ब्लॉक कराने के लिये सम्बन्धित नजदीकी बैंक जाकर उक्त के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र कर उक्त बैंक खाते को बन्द कराने की कार्यवाही को अमल में लाया जाये।

5- यदि What’s app call और video call द्वारा आपके खाते में हवाला अथवा मनी लॉन्ड्रिंग से सम्बन्धित धनराशि आने की बात कही जाये तो उक्त कॉल पर यकीन न करें क्योकि कोई भी सरकारी संस्था मनी लान्ड्रिग अथवा हवाले के पैसे के सम्बन्ध में द्वारा दूरभाष अवगत नही कराती है।

06- अगर What’s app call अथवा video call द्वारा आपके खाते की जॉच के उपरान्त कोई पुलिस Clearance certificate की बीत की जाती है तो यह निश्चित तोर पर Cyber Fraudsters आप को गुमराह कर आप के खाते में मौजूद बैंक धनराशि को अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकते है।

07- किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा यदि आपको What’s app call या video call कर आपको डराया या धमकाया जाता है तो आप इसके सम्बन्ध में अपने घर में मौजूद अन्य सदस्यो अथवा रिश्तेदारो को भी इसके विषय में अवश्य जानकारी दें।

2. थाना इकोटेक-प्रथम पुलिस द्वारा दो पाहिया वाहन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/ निशादेही से चोरी की 07 मोटरसाइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **15.05.2025** थाना **ईकोटेक-प्रथम पुलिस** द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए दो पहिया वाहन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 02 अभियुक्त 1. अमन पुत्र शोकीन 2. प्रियांशू राठी पुत्र ब्रिजेश राठी को भाटी गोल चक्कर से शमशान घाट की ओर जाने वाले सर्विस रोड से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे/ निशादेही से चोरी की 07 मोटरसाइकिल बरामद की गयी है।

अपराध करने का तरीका-- अभियुक्तों द्वारा नोएडा ,दिल्ली ,मेरठ में स्थित कंपनियो/फैक्ट्रियों से मोटरसाइकिल चोरी करके शमशान घाट के पास औद्योगिक क्षेत्र के खाली पड़े प्लॉट की झाड़ियों मे छिपा कर खडी करते थे। बाद में सोशल मीडिया पर स्टोरी लगाकर सस्ते दामों में बेच देते थे।

अभियुक्तों का विवरण--

1. अमन पुत्र शोकिन निवासी रानौली लतीफपुर, थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर।
2. प्रियांशू राठी पुत्र ब्रिजेश राठी निवासी गुथावाली खुर्द, थाना अगौता, बुलन्दशहर।

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

1- मु0अ0सं0- 56/2025 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस, थाना इकोटेक प्रथम, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

2- मु0अ0सं0- 15/2024 धारा 379 भादवि, थाना इकोटेक प्रथम, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

3- मु0अ0सं0- 55/2025 धारा 303(2) बीएनएस, थाना इकोटेक प्रथम, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

4- मु0अ0सं0-51/2025 धारा 303(2) बीएनएस, थाना इकोटेक प्रथम, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण–

1. स्प्लेंडर प्लस रंग काला रजि0नं0-UP16AX3887
2. स्प्लेंडर प्लस रंग काला व सफेद बिना नम्बर प्लेट चैसिस नं0-MBLHA10CGGHA09711
3. स्प्लेंडर प्लस रंग काला रजि0नं0-DL3SAM2615
4. सुपर स्प्लेंडर रंग काला बिना नम्बर प्लेट चैसिस नं0-MBLJA05EMF9E05898
5. स्प्लेंडर रंग काला बिना नम्बर प्लेट
6. होण्डा एसपी 125 काला व हारा रंग रजि0नं0-UP16DV4417
7. स्प्लेंडर प्लस रंग काला स्लेटी रजि0नं0-UP16DP7221

3. थाना सेक्टर-113 पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।

घटना का विवरण-- दिनांक 29.04.2025 को वादी निवासी ग्राम सोरखा द्वारा अपनी मोटरसाइकिल टी0वी0एस0 स्पोर्ट रजि0नं0-UP16EV2352 के चोरी हो जाने के संबंध ई-एफआईआर के माध्यम से थाना सेक्टर-113 नोएडा पर मु0अ0सं0-199/2025 धारा- 303(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था। उपरोक्त घटना के सफल अनावरण हेतु थाना स्तर पर पुलिस टीम का गठन किया गया था।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **15.05.2025** को **थाना सेक्टर-113** नोएडा पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 03 अभियुक्त 1. कृष्णकान्त पुत्र रामवीर सिंह 2. सनातन हलदर पुत्र निखिल हलदर 3. सर्वेश कुमार पुत्र तेजपाल को एफएनजी कट सेक्टर-122 नोएडा सर्विस रोड से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से मु0अ0सं0-199/2025 धारा- 303(2) बीएनएस से संबंधित चोरी की मोटरसाइकिल टी0वी0एस0 स्पोर्ट रजि0नं0-UP16EV2352 बरामद की गयी है।

अभियुक्तों का विवरण--

1. कृष्णकान्त पुत्र रामवीर सिंह निवासी ग्राम ऐतमादपुर मदरा, थाना डौकी, आगरा वर्तमान पता ग्राम सर्फाबाद, सेक्टर-73 नोएडा, थाना सेक्टर-113 नोएडा, गौतमबुद्धनगर, उम्र करीब 22 वर्ष।
2. सनातन हलदर पुत्र निखिल हलदर निवासी हजरापुर कालोनी, काठुआ, वर्धमान (पश्चिम बंगाल) वर्तमान पता ग्राम बरौला, थाना सेक्टर- 49 नोएडा, गौतमबुद्धनगर, उम्र करीब 23 वर्ष।
3. सर्वेश कुमार पुत्र तेजपाल निवासी ग्राम गुड़वा, थाना अतरौली, हरदोई वर्तमान पता ग्राम सर्फाबाद थाना सेक्टर-113 नोएडा,गौतमबुद्धनगर, उम्र करीब 25 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0-199/2025 धारा- 303(2), 317(2), 3(5) बीएनएस, थाना सेक्टर-113 नोएडा, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

चोरी की मोटरसाइकिल टी0वी0एस0 स्पोर्ट रजि0नं0-UP16EV2352

4. थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा 02 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल, 01 तमंचा मय 02 कारतूस जिंदा .315 बोर व 01 अवैध चाकू बरामद ।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **15.05.2025** को **थाना बीटा-2 पुलिस** द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना के आधार पर चोरी करने वाले 02 अभियुक्त 1. अभिषेक उर्फ छपरा पुत्र कालू 2. तुषार पुत्र मांगेराम को थाना बीटा-2 क्षेत्रान्तर्गत साइट-4 बस स्टेण्ड से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल सम्बन्धित मु0अ0सं0 208/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना बीटा-2, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, 01 तमंचा मय 02 कारतूस जिंदा .315 बोर व 01 अवैध चाकू बरामद किया गया है।

अभियुक्तों का विवरण--

1. अभिषेक उर्फ छपरा पुत्र कालू निवासी ग्राम बिरौण्डी थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
2. तुषार पुत्र मांगेराम निवासी ग्राम बिरौण्डी थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

(1) अभियुक्त अभिषेक उर्फ छपरा--

1. मु0अ0सं0 218/2025 धारा 317(2) बीएनएस व 3/4/25 आर्म्स एक्ट, थाना बीटा-2,कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 208/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना बीटा-2,कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 126/2025 धारा 115(2)/352/351(2) बीएनएस थाना बीटा-2,कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं0 155/2024 धारा 323/504/506 भादवि, थाना बीटा-2, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

(2) अभियुक्त तुषार--

1. मु0अ0सं0 218/2025 धारा 317(2) बीएनएस व 3/4/25 आर्म्स एक्ट, थाना बीटा-2,कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 208/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना बीटा-2,कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 262/2021 धारा 379/411 भादवि, थाना सूरजपुर, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं0 231/2021 धारा 379/411 भादवि, थाना सूरजपुर, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. चोरी की मोटर साइकिल पेशन प्रो रजि0नं0 यूपी14 बीई 7642 सम्बन्धित मु0अ0सं0 208/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना बीटा-2,कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
2. 01 तमंचा मय 02 कारतूस जिंदा .315 बोर।
3. 01 अवैध चाकू।